तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो ह… तामीर में
9-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार का जवाब अप्राप्त। तहसीलदार से जवाब लेकर पत्रावली दिनांक 23-2-18 को पेश हो।	
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 23-2-18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11-4-18 नियत की जाती है।	
11-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार का जवाब अप्राप्त। पुनः तहरीर जारी कर पत्रावली दि० 2-5-18 को पेश हो।	
2-5-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार का जवाब अप्राप्त। तलब कर पत्रावली कोर्ट कैम्प पांवडेरा में आगामी दिनांक 15-5-18 को पेश हो।	
15.5.18	पत्रावली पेश हुई। लोक अदालत में उभयपक्ष उपस्थित। जवाब तहसीलदार प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के अनुसार ग्राम पांवडेरा के साबिक खसरा सं० 159 में से प्रार्थी को 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी। सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख.नं० 159 के नवीन ख.सं. 1219 रकबा 0.45, 1288 रकबा 1.67 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.12 हेक्टर बनाये। यह नवीन खसरा सं० प्रार्थी की खातेदारी में वर्तमान रिकॉर्ड में अंकित है। प्रार्थी अनुसार वह मौके पर उक्त ख.सं० (नवीन) पर काबिज नहीं होकर ख.सं. 343, 343/2859, 343/2860 कुल किता चार कुल रकबा [illegible] हेक्टर पर काबिज है। उनके अनुसार सेटलमेन्ट ने मौका कब्जा को ध्यान में रखे बिना ही नवीन ख.सं० उनकी खातेदारी में अंकित कर दिये गये जो दुरुस्त किया जावे। परन्तु प्रार्थी द्वारा उनको आवंटित भूमि	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	का कब्जा किस स्थान पर गत खसरा 149 मे संभलवाया गया था बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब तहसीलदार अनुसार प्रार्थी को ग्राम पावडेरा में गत खसरा 149 में से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। वर्तमान रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम खस. 1219 रकबा 0.45 हेक्टर व 1288 रकबा 1.67 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 2.12 हेक्टर दर्ज है। उक्त दोनों खसरा सं (1219 1288) गत खसरा स0 149 से बने नवीन खसरा न0 है। इससे यह स्पष्ट है कि की प्रार्थी को आवंटित रकबे के बराबर रकबा गत खसरा स. 149 से बने नवीन खसरा में ही सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अंकित कर दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। प्रार्थी द्वारा जवाब तहसीलदार का अवलोकन कर जरिये वकील प्रार्थना पत्र वापस लेने हेतु लिखित निवेदन करते हुए नियमतः आवश्यक अन्य वादपेश करने की अनुमति चाही। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली प्रार्थना पत्र / लिखित निवेदन चाहे अनुसार फैसला की जाती है। पत्रावली फैसलाशुमार हो दर्ज न0 से कम हो। Sd/-	

Scanned by CamScanner